



सत्यमेव जयते

मध्य प्रदेश राज्य
के
वन कार्यालयों/वनमण्डलों की कार्यप्रणाली का
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2009-10

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्राक्कथन

वन विभाग, म.प्र. शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है, एवं इसके आहरण एवं संवितरण अधिकारी इसके राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दायित्व का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें इसके लिए शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। अतएव वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य प्रणाली एवं नियमों/प्रक्रियाओं के पालन में पाई गई कमियों पर इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है।

वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर आधारित, वर्ष 2009-10 का यह वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया है। भाग-एक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों की जाँच के दौरान पाई गई कमियाँ/त्रुटियाँ/अनियमितताएँ दर्शाई गई हैं एवं भाग-दो में वन कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान इनकी कार्य प्रणाली से संबंधित संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को दर्शाया गया है।

वन विभाग की कार्य प्रणाली में नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करने में और मासिक वन लेखों की निर्धारित दिनांक तक इस कार्यालय में प्राप्ति सुनिश्चित कराने एवं अंक मिलान कार्य को नियमानुसार पूर्ण करते रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन उन्हें अनियमितताओं से बचने को प्रेरित करने में सहायक होगा।

स्थान ग्वालियर
दिनांक 28/01/2011

महालेखाकार

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
मध्य प्रदेश ग्वालियर

वन विभाग की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2009–10

–: प्रस्तावना :-

वन विभाग की संरचना अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग प्रमुख है, जिसके अधीन वर्ष 2009–10 में भोपाल में स्वंत्रत इकाई के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालय थे :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)
5. मुख्य वन संरक्षक म.प्र.वानिकी परियोजना
6. मूल्यांकन अधिकारी, सामाजिक वानिकी
7. वन संरक्षक, राजधानी परियोजना

उक्त कार्यालयों के अतिरिक्त 16 वनवृत्त के कार्यालय थे, जिनके अधीन निम्नानुसार वन कार्यालय रहे –

| | | |
|-----|--------------------------------|-----|
| 1. | वनमण्डल (क्षेत्रीय) | 59 |
| 2. | वनमण्डल (उत्पादन) | 14 |
| 3. | वनमण्डल (सामाजिक वानिकी) | 11 |
| 4. | वनमण्डल (कार्य आयोजना) | 01 |
| 5. | वनवृत्त (कार्य आयोजना) | 16 |
| 6. | वनवृत्त (अनुसंधान एवं विस्तार) | 07 |
| 7. | वनवृत्त (वन्यप्राणी) | 02 |
| 8. | राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण | 12 |
| 9. | वन विद्यालय/महाविद्यालय | 05 |
| 10. | मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) | 01 |
| | योग | 128 |

इस प्रकार वर्ष 2009–10 में कुल (1+7+16+128) 152 वन कार्यालय कार्यरत रहे।

म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 378/आर 847/चार/ब-1/2006 दिनांक 07.04.06 द्वारा वन विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य शीर्षों से संबंधित आहरणों को दिनांक 1 जुलाई 2006 से कोषालय के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा माह जुलाई 2006 से उक्त शीर्षान्तर्गत लेन-देन कोषालय के माध्यम से किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश दिनांक 259-आर-20-चार-ब-1/2009 दिनांक 30-3-2009 द्वारा कार्यालय संचालक वन विद्यालय अमरकंटक,

जिला अनूपपुर एवं वन मण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज (सामान्य) वन मण्डल जिला रायसेन को जिला कोषालय से इन्टरफेस की सुविधा प्राप्त होने तक अन्य वन मण्डलो की भांति कमश उप कोषालय पुष्पराजगढ तथा उप कोषालय गौहरगंज से आहरण करने की अनुमति वर्ष 2009-10 से प्रदान की गई है ।

11. वेतन
21. यात्रा भत्ता
22. कार्यालय व्यय
33. वाहनों का अनुरक्षण
35. विज्ञापन एवं प्रचार
41. छात्र वृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ
2071. पेंशन (पूर्वानुमानित एवं अनंतिम पेंशन और सेवा निवृत्ति भुगतान)
8009. सामान्य भविष्य निधि
8011. शासकीय कर्मचारी बीमा (परिवार कल्याण निधि)

इस प्रकार उक्त शीर्षान्तर्गत किये गये लेन देनों का लेखा कोषालय लेखे के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त शीर्षान्तर्गत किये गये लेनदेनों का लेखा पूर्ववत् महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. भाग-एक (लेखा)

पूर्व वर्षों में एवं वर्ष 2009-10 में वन कार्यालयों/मण्डलों द्वारा भेजे जाने वाले मासिक लेखों में पाई गई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं/त्रुटियों, मासिक लेखा विलम्ब से प्रेषित करने तथा विभागीय आकड़ों का पुनर्मिलान न करने/विलम्ब से करने विषयक संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय-2 पर लेख किया जाता रहा है । इसके अतिरिक्त वन वृत्त स्तर पर पूर्व में की गई कार्यशालाओं के माध्यम से वन लेखाओं में हो रही त्रुटियों को दूर/निराकृत करने हेतु वन कार्यालयों का ध्यान आकर्षित किया गया था। यद्यपि पूर्व की अपेक्षा लेखाओं में सुधार हुआ है, तथापि अभी भी कुछ त्रुटियां पूर्ववत् की जा रही, जिनमें सुधार की आवश्यकता है एवं जिन्हें समय-समय पर पत्रों द्वारा सूचित किया जाता रहा है।

1.1 मासिक लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 219 के अनुसार मासिक लेखे अगले माह की 12 वीं तारीख तथा माह मार्च का लेखा 18 वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब की स्थिति में वन वित्तीय नियमावली के नियम 225 के अनुसार विलम्ब के कारणों से महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कारणों सहित बिलम्ब से लेखा भेजने की सूचना अप्राप्त रही तथा महालेखाकार कार्यालय में निर्धारित तिथि तक लेखा उपलब्ध कराने में उदासीनता बरती गई। जबकि इस कार्यालय द्वारा, मासिक वन लेखों में प्राप्ति के विवरण से प्रतिमाह सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराया गया।

वर्ष 2009-10 के कुल 1824 मासिक लेखों में से 456 लेखे निर्धारित दिनांक उपरांत प्राप्त हुए जिसमें से 38 लेखे निम्नानुसार 6 से 10 दिन देरी से प्राप्त हुए।

| विलम्ब अवधि | प्राप्त लेखों की संख्या |
|-------------|-------------------------|
| 1 से 2 दिन | 174 |
| 3 से 5 दिन | 244 |
| 6 से 10 दिन | 38 |
| कुल योग | 456 |

समीक्षा के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि कुछ वन कार्यालयों से कई माह के लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए। वन कार्यालय जिनसे तीन या तीन से अधिक माहों के मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए, के नाम "परिशिष्ट "क" में दिए गए हैं।

1.2 विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार के आंकड़ों से मिलान।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 235 (ब) के अनुसरण में समस्त वन वृत्तों में होने वाले वन विभाग के राजस्व एवं व्यय लेखाशीर्ष का महालेखाकार के कार्यालय में अंकित आंकड़ों के समाधान का उत्तरदायित्व वन संरक्षक का होगा। इस हेतु वे स्वयं विभागीय लेखों में दिये आंकड़े तथा महालेखाकार के कार्यालय के आंकड़ों का समाधान कराने हेतु कार्यवाही करेंगे। यह समाधान प्रतिमाह होना चाहिये।

वर्ष 2009-10 में इस विषयक उक्त नियम के प्रकाश में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई हैं :-

1. विभिन्न वनवृत्त एवं उनके अधीनस्थ वन कार्यालयों ने प्रत्येक माह पुनर्मिलान न करते हुए अनेक माहों के आंकड़ों का पुनर्मिलान एक साथ किया। वित्तीय वर्ष 2009-10 में अंकमिलान कार्य पूर्ण न करने वाले कार्यालयों की सूची एवं कुल राशि का विवरण

परिशिष्ट “ख” में दर्शाया गया है । विवरण से स्पष्ट है कि, 151 वन कार्यालयों द्वारा वन वित्तीय नियमावली के उक्त नियम का उल्लंघन करते हुये प्रत्येक माह पुनर्मिलान कार्य नहीं किया गया ।

2. वर्ष के दौरान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) को समय-समय पर लंबित अंक मिलान कार्य की स्थिति से अवगत कराते हुये समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अंक मिलान कार्य नियमानुसार पूर्ण करने हेतु निर्देशित किये जाने के संबंध में लेख किया गया । इसके अतिरिक्त वन संरक्षक स्तर पर भी वृत्त के सभी (डी. डी.ओ.) को उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु भी सूचित किया गया है । इसी क्रम में कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्र क्र./व.सं.1/अंक मिलान/ 2009-10/डी 14 दिनांक 26.04.2010 के माध्यम से उनके अधीनस्थ वन कार्यालयों के लंबित अंक मिलान कार्य को दिनांक 31/5/2010 तक पूर्ण कराने हेतु सूचित किये जाने के उपरान्त भी वर्ष 2009-10 में 43 कार्यालयों द्वारा पुनर्मिलान कार्य पूर्ण नहीं किया गया ।

1.3 वन विभाग द्वारा विक्रयकर की प्राप्ति को वन राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना ।

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2007-08 एवं 2008-09 की कंडिका 1.4 में सरकारी लेखाकरण नियम, 1990 के नियम 29 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए विभाग द्वारा इमारती लकड़ी, बाँस, खैर तथा छोटे वनोपजो की बिक्री से प्राप्त विक्रय कर की राशि को वनराजस्व लेखा मुख्य शीर्ष-0406 के नीचे विभिन्न लघुशीर्षों के विस्तृत शीर्ष “विक्रय कर से प्राप्ति” के अंतर्गत लेखाबद्ध कर विभाग की आय माना जाना तथा प्राप्त विक्रय कर का वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान करते समय वन विभाग के राजस्व व्यय लेखा मुख्य शीर्ष-2406 के नीचे विभिन्न लघुशीर्षों के विस्तृत शीर्षान्तर्गत लेखाबद्ध कर विभाग का व्यय माना जाना जैसी वित्तीय अनियमितता की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया था ।

वर्ष 2009-10 के राजस्व/व्यय के बजट अनुमान पुस्तिका क्रमशः खण्ड-2 एवं मांग संख्या 10 तथा वन कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखों का अवलोकन करने पर उक्त अनियमितता यथावत् पायी गयी । वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान एवं वन कार्यालयों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों के आधार पर इस कार्यालय द्वारा उक्त प्राप्ति/व्यय शीर्षान्तर्गत संकलित राशियां निम्नानुसार है:-

| बजट शीर्ष | बजट अनुमान (रूपये हजार में) | इस कार्यालय के आंकड़े (रूपये हजार में) |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| 0406-वन राजस्व (विक्रयकर) | 582438 | 7945•85 |

| | | |
|---|--------|--------|
| 2406—वानिकी तथा वन्य जीवन (विक्रयकर) | 587253 | 583299 |
|---|--------|--------|

यह आपत्ति वर्ष 2002-03 से निरंतर प्रतिवेदित की जा रही है फिर भी प्रक्रिया में सुधार अपेक्षित है। कंडिका वित्त विभाग, म.प्र.शासन के ध्यान में लायी जाती है।

1.4 मुख्यशीर्ष 8782-103- वन चैक/प्रेषण के "समाधान पत्रक" मासिक लेखों के साथ प्राप्त न होना।

1. महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने वाले मासिक लेखे के साथ समाधान पत्रक भेजे जाने चाहिये। इस समाधान पत्रक में पिछले माह के अंत तक न भुनाये गये चैकों की राशि को प्रारंभिक शेष मानकर, चालू माह में जारी किये गये चैकों की राशि जोड़ना चाहिये इसके उपरांत चालू माह में भुनाये गये चैकों की राशि (कोषालय अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर) को घटाने के उपरांत जितनी राशि के चैक भुगतान हेतु शेष रहे हैं उनका विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिये। समाधान पत्रक का प्रारूप तैयार कर इस कार्यालय द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) तथा वन मंडलों को भी भेजा गया है, परन्तु अभी भी वन मंडलों के मासिक लेखे के साथ समाधान पत्रक वांछित प्रारूप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
2. नियमानुसार कोषालय वन प्रेषण शीर्ष के चालान मंडल कर्मचारियों द्वारा भरे जाने चाहिए या उसमें दिये वर्गीकरण की जांच कर जमाकर्ता/पार्टियों को दिये जाने चाहिये जिसे कोषालय/बैंक में राशि प्रेषित करने के लिये पार्टी अपनी निजी व्यवस्था करते हैं। विधिवत् रसीदी चालान पार्टी द्वारा लाये जाने पर वन मंडल अधिकारी इस बात से संतुष्ट होने पर रसीदी चालान वास्तविक है रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में राजस्व की प्रविष्ट करता है। यदि पार्टियाँ मंडल को मांग ड्राफ्ट भेजें तो वे पहिले भुनाये जाने चाहिये तब रोकड़ बही में प्रविष्टि की जानी चाहिये। इस प्रक्रिया के पालन से शासकीय राशि के गबन तथा लेखे के गलत वर्गीकरण से बचाव होता है।

उक्त प्रक्रिया के पालन के उपरांत महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखे के साथ कोषालय में वन प्रेषण का समाधान पत्रक जिसमें :-

- (i) पिछले माह के अंत में खजाना अधिकारियों की बहियों में समायोजन के बिना पड़े वन राजस्व की कुल राशि को प्रारंभिक शेष मानते हुये (ii) मंडल के

मासिक लेखे में यथा सम्मिलित चालू महीने के राजस्व की राशि जोड़ना चाहिये इसके उपरांत (i) व (ii) के जोड़ में से खजाना अधिकारियों द्वारा विधिवत समायोजित राजस्व की कुल राशि (समेकित खजाना रसीद के अनुसार) को घटाने के उपरांत जो खजाना अधिकारियों के बहियों में समायोजित राशि शेष रहती है उसका विवरण जैसे :- पार्टी का नाम, राशि, खजाने का नाम, राजस्व मद संख्या एवं रजिस्टर का महीना महालेखाकार को भेजा जाना चाहिये, जो कि प्राप्त नहीं हो रहा है, प्रत्येक माह मासिक लेखे के साथ भेजा जाना चाहिये।

समाधान पत्रकों के मासिक लेखे के साथ प्राप्त न होने से, असमायोजित राजस्व एवं भुगतान हेतु शेष चैकों पर निगरानी रखना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.5 कोषालय में वन प्रेषण (मु.शी. 8782-103-01) के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में कोषालय से प्राप्त चालानों पर अंकित चालान क्रमांक का वन मंडल द्वारा प्रेषित फार्म 15 के चालानों के क्रमांक से मेल न होना।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 59 एवं 67 में वन कार्यालयों द्वारा कोषालय में प्रत्येक माह मु.शी. 8782-103 वन प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत प्रेषित राशियों का मिलान कोषालय से प्राप्त समेकित कोषालय रसीद (सी.टी.आर.) से कर इसका समाधान पत्रक एवं सी.टी.आर. मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कोषालयों एवं महालेखाकार कार्यालय, दोनों ही स्तर पर लेखांकन का कार्य कम्प्यूटरीकृत होने के कारण यह नितांत आवश्यक हो गया है कि, वन मंडल अधिकारी द्वारा प्रेषित लेखे में सूचित प्रेषण सूची पर अंकित चालान क्रमांक एवं ट्रेजरी द्वारा प्रेषित सूची एवं संलग्न चालानों पर अंकित चालान क्रमांक इस प्रकार हो कि उन चालान क्रमांकों के क्रमांक में दोहराव (रिपिटेशन) न हो, जिससे कि कम्प्यूटर प्रणाली में वन मंडलों एवं कोषालयों के चालान क्रमांकों का आपस में मिलान हो सके। साथ ही चालानों पर वन मंडल का नाम अथवा कोड क्रमांक अंकित किया जाना चाहिये।

विगत वर्ष की वार्षिक समीक्षा में भी शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था तथा बार-बार लिखे जाने के बावजूद भी वन मण्डलों द्वारा उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप वन प्रेषण शीर्ष में लंबित राशि का समायोजन नहीं हो पा रहा है, अतः इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.6 विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज का लेखे में समायोजन न किया जाना।

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09की कंडिका क्रमशः 1.6 एवं 1.7 के माध्यम से विभाग के सभी कार्यालयों में कार्यरत समूह "घ" कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज की गणना कर देय ब्याज की राशि उक्त कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट करने तथा मुख्य लेखा शीर्ष 2049-ब्याज संदाय,03-अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि पर ब्याज, 104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज, 4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज को डेबिट करने हेतु प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित करने का लेख किया गया था ताकि विभागीय भविष्य निधि में जमा राशियों पर देय ब्याज का समायोजन संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखे में किया जा सके ।

वर्ष 2009-10 के लिये कुल 151 वन कार्यालयों में से मात्र 117 कार्यालयों से 41494902 रुपये के अंतरण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका समायोजन अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से वर्ष 2009-10 के लेखे में किया गया। इस प्रकार परिशिष्ट "ग" में वर्णित 117 कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालयों से निरंक राशि के ब्याज पत्रक प्राप्त हुये। अपेक्षा की जाती है इस समायोजन हेतु प्रतिवर्ष प्रस्ताव आवश्यक रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, म.प्र.ग्वालियर को प्रेषित किये जायेंगे।

1.7 वन विकास उपकर राशि का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना।

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 एवं 2008-2009 की समीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से, विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा लेखा शीर्ष 0406-वानिकी और वन्य जीवन 800-अन्य प्राप्तियां (0236)-वन विकास उपकर से प्राप्तियां के अंतर्गत लेखाबद्ध योग्य राजस्व को अन्य शीर्षान्तर्गत लेखाबद्ध करने की त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। यह भी लेख किया गया था कि, उक्त त्रुटि के कारण उक्त शीर्ष के अंतर्गत कम राशि लेखाबद्ध होने का प्रतिकूल प्रभाव वनों के विकास हेतु स्थापित वन विकास निधि पर होता है एवं वनों के विकास के लिए व्यय हेतु कम राशि उपलब्ध हो पाती है।

वर्ष 2008-09 में प्राप्त वन विकास उपकर से प्राप्त राशि रूपये 520635420/- के विरुद्ध वर्ष 2009-10 में राशि रूपये 411387000 (रूपये इकतालीस करोड़ तैरह लाख सतासी हजार) का वन विकास निधि में अंतरण हेतु मांग संख्या 10-वन में बजट प्रावधान किया गया था लेकिन शासन से उक्त अंतरण के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप वन विकास उपकर की राशि का वन विकास निधि में अंतरण नहीं हो सका।

अतः वर्ष 2009-10 में प्राप्त वन विकास उपकर की राशि के वन विकास निधि में अंतरण हेतु किये गये बजट प्रावधान अनुसार वर्ष 2010-11 में अंतरण प्रस्ताव स्वीकृतियाँ समय सीमा में भेजे जाने की आवश्यकता है।

1.8 वन कार्यालयों द्वारा "कोषालय में प्रेषण" से संबंधित चालानों पर त्रुटिपूर्ण लेखा शीर्ष अंकित करना।

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के प्रतिवेदन की कंडिका 1.8 एवं 1.9 में वन वित्तीय नियमावली के नियम 62 एवं म.प्र. कोष संहिता भाग-एक के नियम 501 की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए इनके अनुसरण में समस्त वन कार्यालयों से कोषालय में चालान द्वारा प्रेषित योग्य राशि लेखा शीर्ष 8782-103-वन प्रेषण, 01-कोषालय में प्रेषण के अंतर्गत प्रेषित कराने का लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में विभिन्न वनवृत्त कार्यालयों में लेखा संबंधी सम्पन्न कार्यशालाओं में भी उक्त प्रक्रिया विषयक अवगत कराया गया था।

- (1) शासन की आय दो लेखाओं अर्थात् वन लेखा एवं कोषालय लेखा के माध्यम से लेखाबद्ध न होकर मात्र एक (वन लेखा/कोषालय लेखा) के माध्यम से लेखाबद्ध हो तथा शासन की आय एक बार काल्पनिक रूप से न बढ़े।

- (2) निष्कर्ष रूप में वन कार्यालयों द्वारा प्राप्त आय को लेखा शीर्ष "8782-103-वन प्रेषण, 01 कोषालय में प्रेषण" के अंतर्गत चालान द्वारा कोषालय में जमा राशियों को ही विभागीय वन लेखे में शामिल किया जायेगा। यदि इसके अतिरिक्त इसी प्रकार चालान द्वारा कोषालय में लेखा शीर्ष 0406 वन राजस्व, 7610- शासकीय सेवकों को ऋण, 8009-सामान्य भविष्य निधि तथा 8550-101-वन अग्रिम, 8443-106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत जमा की गई है तो उसे वन लेखा (विभागीय) में शामिल नहीं किया जायेगा, क्योंकि वह कोषालय लेखे के माध्यम से शासकीय लेखे में लेखाबद्ध हो जाती है। विभागीय लेखे में वन राजस्व के अन्तर्गत कोषालय में चालान द्वारा मुख्यशीर्ष 8782-103 -01 के अन्तर्गत जमा की गयी राशि ही दिखायी जानी चाहिये।

1.9 मासिक लेखा के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) प्रगामी आय/व्यय पत्रक (फार्म-7अ/7ब) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेन देनों से संबंधित लेखाशीर्षों का पूर्ण विवरण अंकित न करना ।

नियमानुसार विभिन्न लेन-देनों के प्रत्येक अभिलेख पर लेन देन से संबंधित लेखाशीर्ष निम्नानुसार क्रम में अंकित किए जाने चाहिए ।

- (1) राजस्व/प्राप्ति/आय

मुख्य शीर्ष,

उप मुख्य शीर्ष

लघु शीर्ष

उप शीर्ष

विस्तृत शीर्ष ।

- (2) व्यय/भुगतान

मांग संख्या-आयोजनेत्तर/आयोजना, भारित/मतदेय

मुख्य शीर्ष

उप मुख्य शीर्ष

लघु शीर्ष

समूह शीर्ष

उप शीर्ष

विस्तृत शीर्ष

उप विस्तृत शीर्ष

विभिन्न वन कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखा के संलग्न उक्त अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया है कि, इन पर उपरोक्तानुसार राजस्व/व्यय के लेखा शीर्ष अंकित नहीं किए गए हैं। परिणामतः महालेखाकार कार्यालय में लेन-देन के वर्गीकरण संबंधी त्रुटि हुई है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि रोकड़ लेखे में जो व्यय शीर्ष दर्शाये जाते हैं वर्गीकृत सार (फॉर्म 14) में उससे भिन्न शीर्ष दर्शाये जाते हैं।

1.10 प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि/समूह बीमा योजना/मोटर वाहन अग्रिम/गृह निर्माण अग्रिम इत्यादि के कटौतों राशियों का रोकड़ लेखे में शामिल किया जाना।

(1) विभाग से अन्य संस्थाओं यथा लघु वनोपज संघ, वन विकास निगम/अन्य विभाग इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लेखा शीर्ष सा.भ.नि./समूह.बी.यो./मो.वा.अ./गृ.नि.अ. इत्यादि के कटौतों की राशि कई वन मंडलों/कार्यालयों द्वारा रोकड़ लेखे में दर्शायी गई है। जबकि माह 07/06 से उक्त शीर्षान्तर्गत लेनदेन कोषालय लेखे के माध्यम से किया जा रहा है।

अतः प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ/गये कर्मचारियों/ अधिकारियों के कटौतों, संबंधित मद के शीर्षान्तर्गत राशि बैंक ड्राफ्ट/चैक से अपने विभाग के माध्यम से कोषालय में अथवा सीधे चालान से कोषालय में जमा करायी जानी चाहिये न कि मु. शीर्ष 8782-103-01 में राशि चालान से जमा कर रोकड़ लेखे के प्राप्ति पक्ष में संबंधित मद के अन्तर्गत वन मासिक लेखे में शामिल किया जाना चाहिये।

(2) कटौत राशि के चालान प्राप्त होने की स्थिति में :-

कटौत राशियों के कोषालय में जमाशुदा चालानों जिस पर विभिन्न लेखा शीर्ष यथा 8009-सामान्य भविष्य निधि/7610-मोटर वाहन अग्रिम/गृह निर्माण अग्रिम, 8011-समूह बीमा योजना इत्यादि अंकित हैं, के प्राप्त होने पर उक्त चालानों की राशियों का लेखांकन कार्यालय के मासिक लेखा में (रोकड़ बही/रोकड़ लेखा) नहीं किया जाना चाहिये। क्योंकि उक्त कटौत राशियां कोषालय लेखे के माध्यम

से शासकीय लेखों में सम्मिलित हो जाती है । प्राप्त चालानों को मात्र अभिलेख में रखा जाना चाहिये ।

1.11 वर्ष 2009-10 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत प्राप्ति हेतु अनुमान एवं प्राप्ति का लेखांकन।

म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-3/33/98/10-2 दिनांक 29.12.99 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण से संबंधित प्राप्त राशि को, संबंधित वन मंडलअधिकारी द्वारा संबंधित कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता खोलकर इसमें जमा कराया जाना चाहिये । आदेश की प्रति परिशिष्ट "घ"-एक' के रूप में संलग्न है ।

वर्ष 2008-09 की भांति ही वर्ष 2009-10 की बजट अनुमान पुस्तिका खंड-2 पृष्ठ 16 में "मुख्य शीर्ष 0406-वानिकी और वन्य जीवन 01 वानिकी (800) अन्य प्राप्तियाँ - (0237) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये अन्य विभागों से प्राप्तियाँ" हेतु राशि रूपये 187,00,000/- (रूपये एक करोड़ सतासी लाख) का बजट अनुमान किया गया तथा विभिन्न कार्यालयों से इस कार्यालय में प्राप्त मासिक लेखों में आधार पर इस कार्यालय की लेखा पुस्तिकाओं में राशि रूपये 7106037/- की प्राप्ति दर्ज की गई ।

विभाग के उक्त आदेशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण विषयक राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत किया गया बजट अनुमान एवं विभिन्न वन मंडलों द्वारा उक्त राजस्व शीर्षान्तर्गत राशियाँ दर्ज की जाना विभागीय आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

वर्ष 2009-10 में वैकल्पिक वृक्षारोपण के अन्तर्गत वन मंडलवार दर्ज राशियों का विवरण परिशिष्ट "ड़" पर प्रदर्शित हैं ।

1.12 मासिक लेखाओं में पायी गयी अन्य त्रुटियाँ/अनियमितताएं।

- (1) वन वित्तीय नियमावली 226 एव लेखा संहिता भाग-तीन के अनुसार अनुसूचियां निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर न भेजना ।
- (2) बिना बजट प्रावधान राशियां दर्ज करना ।
- (3) कोषालय में प्रेषण का समाधान पत्रक एवं "समेकित कोषालय रसीद" मासिक लेखे के साथ उपलब्ध न कराना अथवा अत्यंत विलम्ब से उपलब्ध कराना ।
- (4) रोकड़ लेखा के प्राप्ति तथा भुगतान पक्ष की राशि असमान होना ।

- (5) आय/व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) का योग रोकड़ लेखा में दर्ज आय/व्यय की राशि से न मिलना ।
- (6) आय/व्यय के प्रगामी अंको के पत्रक (फार्म-7अ/ब) का योग वर्गीकृत सार (फार्म-14) के योग से न मिलना ।
- (7) अनुसूचियों में उल्लेखित राशियों के योग में त्रुटि होना ।
- (8) रोकड़ लेखा में लेखा शीर्ष के कोड क्रमांक व नामावली त्रुटिपूर्ण अंकित करना ।

शासन के ध्यान में उक्त त्रुटियां/अनियमितताएं लाते हुए भविष्य में उक्त त्रुटि/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

----- xxxxxx -----
भाग—दो (लेखा परीक्षा)

2.1 व्यय का स्थानीय लेखा परीक्षण :-

2.1.1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्राप्त न होना :-

वर्ष 2009-10 में 68 वनमण्डलों के व्यय की लेखा परीक्षा महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा की गयी। उक्त 68 वनमण्डलों में से 24 वन मण्डलों के प्रथम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। विवरण परिशिष्ट "च" पर प्रदर्शित है। जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्रतिवेदन के जारी होने के 5 सप्ताह में प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में किये गये लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति में भी विशेष प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2009-10 के अंत तक 370 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 688 कंडिकाएं लंबित है । विवरण परिशिष्ट "छ" पर प्रदर्शित है।

2.1.2 वर्ष 2009-10 के अंत तक वनमण्डलों द्वारा की गयी गंभीर प्रकार की अनियमितताओं के कारण आपत्ति पुस्तकों में लंबित राशि :-

वर्ष 2009-10 में विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा किये गये आपत्तिजनक व्यय के कारण 35 प्रकरणों की राशि रु. 2,83,89,696=00 तथा वर्ष 2008-09 में 21 प्रकरणों की राशि रुपये 6,32,542=00 निराकरण हेतु लंबित थी।

2.1.3 हानि प्रकरणों पर संबंधित वनमण्डलों द्वारा उचित प्रभावी कार्यवाही न किया जाना।

मध्य प्रदेश सामान्य वित्तीय संहिता खण्ड-। के नियम 22 एवं 24 के अनुसार हानि के प्रकरण ध्यान में आते ही उनके संबंध में की गयी कार्यवाही से महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। वर्ष 1975-76 से 2009-10 के अंत तक राशि रूपये 14,41,65,515/- के 2172 हानि प्रकरण लंबित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ज" पर प्रदर्शित हैं।

2.2 राजस्व प्राप्तियों की स्थानीय लेखा परीक्षा।

2.2.1 महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा वर्ष 2009-10 में 68 वनमण्डलों की राजस्व प्राप्तियों का लेखा परीक्षण किया गया, एवं पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभाग को अवगत कराया गया।

इसी वर्ष 2009-10 के अंत तक लेखा परीक्षा से संबंधित 370 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अंतर्गत 688 कण्डिकाओं की राशि रूपये 93,435.84 लाख का निराकरण लंबित है। जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट "झ" में दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा आडिट आपत्तियों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

2.2.2 उचित प्रबंधन एवं लेखा परीक्षण की आपत्तियों पर उचित ध्यान न देने से शासन को हानि।

वर्ष 2009-10 में विभिन्न वनमण्डलों के राजस्व लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि, वनमण्डलों द्वारा उचित प्रबंधन एवं सावधानी न रखने के फलस्वरूप जैसे - वनोपज निपटान हेतु समुचित प्रबंधन न किया जाना, वनोपज की कमी पर ध्यान न देना, लकड़ी के अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन के अंतर पर ध्यान न देना एवं विक्रय कर की प्राप्तियों को अनावश्यक रोकना इत्यादि, कारणों से शासन को करोड़ों की हानि हुई है। राजस्व निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से इस हानि को कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लाया गया है।

अतः शासन से अपेक्षा है कि लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा दल द्वारा ध्यान में लाई गयी आपत्तियों एवं हानि प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभागों को तुरंत कार्यवाही करने एवं जानकारी प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर कार्यालय को तुरंत भिजवाने हेतु निर्देशित किया जावे।

लेखा अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट 'क'

(कृपया कण्डिका 1.1 देखें)

तीन या तीन से अधिक माह के विलम्ब से प्राप्त हुए मासिक लेखों का विवरण पत्रक

| क्र. | वन मण्डल / वनवृत्त का नाम | माह | माहों की संख्या |
|------|---|---|-----------------|
| 01 | वन मंडलाधिकारी (दक्षिण) पन्ना | 05/09,08/09,11/09,12/09, 2/2010,3/2010 | 06 |
| 02 | वनमंडलाधिकारी (सामाजिक वानिकी), छतरपुर | 5/09,8/09,11/09,1/10,2/2010,3/20 10 | 6 |
| 03 | संचालक (राष्ट्रीय उद्यान) पन्ना | 5/09,11/09,1/2010,3/2010 | 4 |
| 04 | वन संरक्षक (सामान्य) छतरपुर | 8/09,11/09,2/09,3/2010 | 4 |
| 05 | वन संरक्षक(सामान्य) टीकमगढ | 4/09,1/20,2/2010,3/2010 | 4 |
| 06. | वन संरक्षक छत्तरपुर | 4/09,5/09, 7/09, 8/09, 11/09, 12/09, 01/2010, 2/2010 | 8 |
| 07. | वन मण्डलाधिकारी (उत्तर)सागर | 8/09, 10/09, 01/2010, 2/2010,3/2010 | 5 |
| 08. | वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सागर | 6/09, 10/09, 11/09, 2/2010, 3/2010 | 5 |
| 09. | वन संरक्षक कार्य योजना सागर | 4/09,5/09, 6/09, 8/09, 10/09, 03/2010 | 6 |
| 10. | वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) सागर | 04/09, 6/09,8/09,1/2010,2/2010,3/2010 | 6 |
| 11 | वनमंडलाधिकारी (उत्तर) शहडोल | 8/09,1/2010,2/2010,3/201 | 4 |
| 12 | संचालक, वन स्कूल, अमरकंटक उमरिया | 8/09,1/2010,2/2010,3/2010 | 4 |
| 13 | संचालक, बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया | 5/09, 11/09, 3/2010 | 3 |
| 14 | वनमंडलाधिकारी (सामान्य) रीवा | 4/09,6/09,7/09,8/09,10/09,11/09,1 /2010,2/2010,3/201 | 9 |
| 15 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सतना | 5/09,6/09,8/09,11/09,1/2010,3/20 10 | 6 |
| 16 | वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सीधी | 4/09,5/09,6/09,10/09,1/2010,3/20 10 | 3 |
| 17 | वनमंडलाधिकारी (सामान्य) पश्चिम सीधी | 5/09,6/09,7/09,8/09,10/09,11/09,1 | 9 |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | /2010,2/2010,3/2010 | |
| 18 | संचालक, संजय राष्ट्रिय उद्यान, सीधी | 5/09,1/2010,2/201,3/2010 | 4 |
| 19 | वनसंरक्षक रीवा | 4/09,5/09,6/09,7/09,08/09,09/09,10/09, 11/09 ,1/2010 | 9 |
| 20 | वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) रीवा | 4/09,7/09,08/09,10/09, 1/2010 | 5 |
| 21 | वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) रीवा | 4/09,5/09, 11/09 ,12/09, 3/2010 | 5 |
| 22 | वनमण्डलाधिकारी (तेहरी)मंदसौर | 5/09, 6/09, 7/09, 10/09 ,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 7 |
| 23 | वनमण्डलाधिकारी(सामान्य) रतलाम | 6/09, 1/2010, 2/2010, 3/2010 | 4 |
| 24 | वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) रतलाम | 4/09,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 4 |
| 25 | वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) खण्डवा | 4/09 ,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 4 |
| 26 | वनमण्डलाधिकारी (कार्य आयोजना) खण्डवा | 08/09, 11/09 ,1/2010, 3/2010 | 5 |
| 27 | वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) सीहोर | 08/09, 11/09 ,1/2010, 3/2010 | 5 |
| 28 | वनमण्डलाधिकारी (अनुसंधान एवं विस्तार) भोपाल | 5/09,08/09,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 7 |
| 29 | वनमण्डलाधिकारी (कार्य आयोजना) भोपाल | 5/09,6/09,7/09,08/09,11/09,12/09 1/2010, 2/2010 | 4 |
| 30 | वनमण्डलाधिकारी, धार | 08/09,11/09 ,1/2010, 3/2010 | 4 |
| 31 | वनमण्डलाधिकारी (सामान्य),नरसिंहपुर | 4/09,5/09,6/09,7/09,11/09,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 4 |
| 32 | वनमण्डलाधिकारी (उत्पादक) उत्तर सिवनी | 5/09,08/09,11/09,1/2010, 2/2010 | 5 |
| 32 | वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) दक्षिण | 4/09,5/09,7/09,08/09,1/2010 | 5 |
| 33 | निदेशक (आर.जी.एस.वी.पी.एस.) लखनादौन सिवनी | 5/09,08/09,11/09,1/2010, 3/2010 | 5 |
| 34 | वनमण्डलाधिकारी ,उत्तर (तेहरी) बालाघाट | 5/09,08/09,10/09,11/09,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 7 |
| 35 | वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण(तेहरी) बालाघाट | 4/09,5/09,6/09,08/09,1/2010,2/2010, 3/2010 | 7 |
| 36 | वनमण्डलाधिकारी , दक्षिण (उत्पादक) बालाघाट | 4/09,5/09, 11/09 ,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 6 |
| 37 | वनसंरक्षक,बालाघाट | 45/09,08/09,10/09,,1/2010,2/2010 , 3/2010 | 6 |
| 38 | संचालक, माधौ राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी | 11/09 ,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 4 |
| 39 | वनमण्डलाधिकारी, अशोक नगर | 4/09, 11/09 , 2/2010, 3/2010 | 4 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 40 | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य, होशंगाबाद | ,5/09, 11/09 ,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 5 |
| 41 | वनमण्डलाधिकारी, (सामाजिक वानिकी) होशंगाबाद | ,5/09, 11/09 ,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 5 |
| 42 | वनमण्डलाधिकारी, पूर्व, (सामान्य) छिन्दवाडा | 5/09,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 4 |
| 43 | वनसंरक्षक, छिन्दवाडा | 5/09,6/09,7/09,,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 6 |
| 44 | वनमण्डलाधिकारी, उत्तर (तेहरी) बैतूल | 4/09,5/09,11/09, 1/2010, 3/2010 | 5 |
| 45 | वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम (सामान्य) बैतूल | 11/09 ,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 4 |
| 46 | वनमण्डलाधिकारी, (उत्पादक) बैतूल | 6/09, 11/09 , 2/2010 | 3 |
| 47 | वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) जबलपुर | 5/09,6/09,10/09,11/09 ,1/2010, 2/2010, 3/2010 | 7 |
| 48 | वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) डिण्डोरी | 5/09,6/09, 11/09 , 2/2010, 3/2010 | 5 |
| 49 | उप निदेशक बफर जोन, कान्हा टाईगर (उत्पादक) मण्डला | 4/09,08/09,11/09,1/2010 | 4 |
| 50 | वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) कटनी | 5/09,6/09, 11/09 , 3/2010 | 4 |
| 51 | उप निदेशक, कान्हा टाईगर (उत्पादक एवं अनुसंधान) मण्डला | 4/09,5/09,6/09,08/09,12/09,2/2010, 3/2010 | 7 |

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम
म.प्र. ग्वालियर
परिशिष्ट 'ख'
(कृपया कण्डिका 1.2 देखें)

वित्तीय वर्ष 2009.2010 में अंक मिलान कार्य पूर्ण न करने वाले कार्यालयों की सूची:-

| सं. क्र. | वन कार्यालय/संभाग का नाम | माह जिनका अंक मिलान नहीं किया | मांग संख्या | कुल राशि |
|----------|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------|
|----------|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------|

| | | गया | | |
|----|---|--------------------|----------|----------------|
| 01 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) शिवपुरी | 3/10 | 10,41 | 1,70,38,306.00 |
| 02 | वन मण्डलाधिकारी(सामान्य) बैतूल | 11/09 से 3/10 | 10,41 | 7527802 |
| 03 | वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य, बैतूल | 3/10 | 10,41 | 7804595 |
| 04 | वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य बैतूल | 3/10 | 10,41 | 1227317 |
| 05 | संचालक वन विद्यालय बैतूल | 3/10 | 10 | 37865 |
| 06 | वन संरक्षक छिन्दवाड़ा | 11/09 से 3/2010 | 10,41 | 78760 |
| 07 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण, छिन्दवाड़ा | 11/09 से 3/2010 | 10,41 | 19811011 |
| 08 | वन मण्डलाधिकारी, भिण्ड | 9/09 से 3/10 | 10,41 | 627431 |
| 09 | मुख्य वनसंरक्षक, कार्य आयोजना जबलपुर | 10/10 से 3/10 | 10 | 275527 |
| 10 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) जबलपुर | 6/09 से 3/10 | 10,41 | 59223529 |
| 11 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) डिण्डोरी | 4/09 से 3/10 | 10,41 | 57367304 |
| 12 | वन मण्डलाधिकारी, दमोह | 10/09 से 3/10 | 10,64 | 48790290 |
| 13 | वन मण्डलाधिकारी उत्तर, सागर | 11/09 से 3/10 | 10,41,64 | 29305786 |
| 14 | वन मण्डलाधिकारी दक्षिण सागर | 11/09 से 3/10 | 10,64 | 43919108 |
| 15 | वन मण्डलाधिकारी नेरादेही सागर | 1/10 से 3/10 | 10,41 | 5407635 |
| 16 | वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) सागर | 7/09 से 3/10 | 10 | 12317554 |
| 17 | वनसंरक्षक कार्य आयोजना भोपाल | 12/09 से 3/10 | 10 | 728699 |
| 18 | वन मण्डलाधिकारी रीवा | 6/09 से 3/10 | 10 | 80879083 |
| 19 | वनसंरक्षक रीवा | 4/09 से 3/10 | 10 | 1270806 |
| 20 | वनसंरक्षक, कार्य आयोजना रीवा | 10/09 से 3/10 | 10 | 716281 |
| 21 | संचालक (संजय राष्ट्रीय उद्यान | 10/09 से 3/10 | 10,41 | 38799017 |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------|----------|
| | सीधी | | | |
| 22 | वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सीधी | 2 / 10 से 3 / 10 | 10,41 | 22722022 |
| 23 | वन मण्डलाधिकारी सतना | 9 / 09 से 3 / 10 | 10,41 | 53557150 |
| 24 | वनसंरक्षक बालाघाट | 9 / 09 से 3 / 10 | 10,41 | 116796 |
| 25 | वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) बालाघाट | 1 / 10 से 3 / 10 | 10,41 | 37735099 |
| 26 | वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) बालाघाट | 7 / 09 से 3 / 10 | 10,41 | 71414273 |
| 27 | वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) उत्तर बालाघाट | 9 / 09 से 3 / 10 | 10 | 70630911 |
| 28 | वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) पश्चिम बालाघाट | 9 / 09 से 3 / 10 | 10 | 71909712 |
| 29 | वनसंरक्षक, कार्य आयोजना, बालाघाट मुख्य जबलपुर | 12 / 09 से 3 / 10 | 10 | 273175 |
| 30 | वन मण्डलाधिकारी बुरहानपुर | 9 / 09 से 3 / 10 | 10,41 | 29020111 |
| 31 | संयुक्त संचालक, वानिकी परियोजना भोपाल | 4 / 09 से 3 / 10 | 10 | 72770327 |
| 32 | वनसंरक्षक कार्य आयोजना इन्दौर | 2 / 10 से 3 / 10 | 10 | 147197 |
| 33 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) हरदा | 10 / 09 से 3 / 10 | 10 | 45419323 |
| 34 | उपसंचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व पंचमढी | 6 / 09 से 3 / 10 | 10 | 18325772 |
| 35 | वनसंरक्षक सिवनी | 4 / 09 से 3 / 10 | 10 | 75000 |
| 36 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण सिवनी | 9 / 09 से 3 / 10 | 10,41 | 41794601 |
| 37 | वन मण्डलाधिकारी नरसिंहपुर | 4 / 09 से 3 / 10 | 10 | 52555327 |
| 38 | वनसंरक्षक कार्य आयोजना शहडोल | 4 / 09 से 3 / 10 | 10 | 727253 |
| 39 | वनसंरक्षक छतरपुर | 1 / 10 से 3 / 10 | 10 | 6592 |
| 40 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रतलाम | 6 / 09 से 3 / 10 | 10,41 | 18229828 |
| 41 | वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) | 4 / 09 से 3 / 10 | 10 | 7381411 |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|---------|
| | केन्द्र रतलाम | | | |
| 42 | वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) होशंगाबाद | 4/09 से 3/10 | निरंक | निरंक |
| 43 | वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) शहडोल | 8/09 से 3/10 | 10,41 | 4302236 |

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट 'ग'

(कृपया कण्डिका 1.7 देखें)

वर्ष 2009-10 में विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज राशि का शासकीय लेखे में समायोजन करेण हेतु विवरण भेजने वाले वन कार्यालयों की सूची।

| स.क्र. | आहरण अधिकारी का नाम | वि.भ.नि.की ब्याज राशि |
|--------|---|--------------------------|
| 1. | वन मंडल अधिकारी उत्तर पन्ना | 56326 |
| 2. | वन मंडल अधिकारी दक्षिण पन्ना | 744980 |
| 3. | वन मण्डल अधिकारी उत्तर शहडौल | 1845960 |
| 4. | वन मण्डल अधिकारी दक्षिण शहडौल | 2179978 |
| 5. | मुख्य वन संरक्षक सिवनी वृत्त | 49195 |
| 6. | वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सिवनी (सामान्य) | 28732 |
| 7. | वन मण्डल अधिकारी सामान्य डिन्डोरी | 262334 |
| 8. | मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त | 76171 |
| 9. | मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त सागर | 80523 |
| 10. | वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) रायसेन | 93447 |
| 11. | वन मंडल अधिकारी, रीवा | 257254 |
| 12. | वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रीवा | 60539 |
| 13. | मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त | 65824 |
| 14. | वन मण्डल अधिकारी सतना | 171372 |
| 15. | वन संरक्षक कार्यआयोजना रीवा | 59259 |
| 16. | उप संचालक संजय टायगर रिजर्व सीधी | 559020 |
| 17. | मुख्य वन संरक्षक कार्यआयोजना इन्दौर | 288769 |
| 18. | वन संरक्षक वन्य प्राणी इन्दौर | 3812 |
| 19. | वन संरक्षक होशंगाबाद | 68231 |
| 20. | वन संरक्षक कार्य आयोजना होशंगाबाद | 41085 |
| 21. | वन मंडल अधिकारी होशंगाबाद सामान्य | 1250670 |
| 22. | वन मण्डल अधिकारी होशंगाबाद सामाजिक वानिकी | 42016 |
| 23. | वन मंडल अधिकारी हरदा सामान्य | 791338 |
| 24. | वन मण्डल अधिकारी हरदा (उत्पादन) | 864908 |
| 25. | संचालक,सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढी | 284189 |
| 26. | वन संरक्षक उज्जैन | 66363 |
| 27. | वन संरक्षक अनु/विस्तार केन्द्र रतलाम | 52883 |
| 28. | वन संरक्षक कार्य आयोजना उज्जैन | 7412 |
| 29. | वन मण्डल अधिकारी सामाजिक वानिकी उज्जैन | 35183 |
| 30. | वन मण्डल अधिकारी सामान्य नीमच | 22769 |
| 31. | वन मंडल अधिकारी मन्दसौर सामान्य | 58828 |
| 32. | वन मंडल अधिकारी रतलाम सामान्य | 9635 |
| 33. | वन मंडल अधिकारी सामान्य शाजापुर | 48487 |
| 34. | वन संरक्षक शिवपुरी | 36895 |
| 35. | वन संरक्षक कार्य आयोजना शिवपुरी | 18029 |

| | | |
|-----|--|---------|
| 36. | वन मंडल अधिकारी सामाजिक वानिकी शिवपुरी | 1672382 |
| 37. | वन मंडल अधिकारी सामान्य गुना | 107941 |
| 38. | वन मंडल अधिकारी अशोकनगर सामान्य | 390539 |
| 39. | संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी | 293911 |
| 40. | संचालक वन विद्यालय शिवपुरी | 65494 |
| 41. | वन संरक्षक ग्वालियर | 53767 |
| 42. | वन संरक्षक अनु./विस्तार केन्द्र ग्वालियर | 54670 |
| 43. | वन सिंह परियोजना, ग्वालियर | 4821 |
| 44. | वन संरक्षक कार्य आयोजना, ग्वालियर | 13483 |
| 45. | वन मंडल अधिकारी सामान्य श्योपुर | 42918 |
| 46. | वन मंडल अधिकारी सामान्य दतिया | 44424 |
| 47. | वन मण्डल अधिकारी, मुरैना सामान्य | 108122 |
| 48. | वन मंडल अधिकारी भिण्ड | 35557 |
| 49. | वन मंडल अधिकारी कूनो वन्यप्राणी, श्योपुर | 515400 |
| 50. | वन संरक्षक कार्य आयोजना, बेतूल | 53416 |
| 51. | वन संरक्षक अनु./विस्तार, बेतूल | 812900 |
| 52. | वन मंडल अधिकारी, उत्तर बेतूल सामान्य | 1633385 |
| 53. | वन संरक्षक, खण्डवा | 16238 |
| 54. | वन संरक्षक कार्य आयोजना, खण्डवा | 5244 |
| 55. | वन संरक्षक अनु./विस्तार खण्डवा | 57031 |
| 56. | वन मंडल अधिकारी, सामान्य खण्डवा | 606942 |
| 57. | वन मंडल अधिकारी, बुरहानपुर सामान्य | 24928 |
| 58. | वन मंडल अधिकारी खरगौन सामान्य | 552936 |
| 59. | वन मंडल अधिकारी, बडवाह सामान्य | 33761 |
| 60. | वन मंडल अधिकारी, बड़वानी सामान्य | 27379 |
| 61. | वन मंडल अधिकारी, सेंधवा सामान्य | 371399 |
| 62. | वन मंडल अधिकारी, खण्डवा उत्पादन | 158836 |
| 63. | वन संरक्षक, शहडौल | 44991 |
| 64. | वन मंडल अधिकारी, उमरिया सामान्य | 404805 |
| 65. | संचालक, वनविद्यालय, अमरकंटक | 22546 |
| 66. | संचालक, बान्धवगढ़, उमरिया | 166549 |
| 67. | वन मंडल अधिकारी, पूर्व सीधी सिंगरौली | 81194 |
| 68. | वन मंडल अधिकारी, पश्चिम सीधी | 1769841 |
| 69. | संचालक, राष्ट्रीय उद्यान सीधी | 636850 |
| 70. | मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना जबलपुर | 37754 |
| 71. | वन संरक्षक, कार्य आयोजना जबलपुर | 10113 |
| 72. | मुख्य वनसंरक्षक, जबलपुर | 62534 |
| 73. | वन मण्डल अधिकारी सामान्य कटनी | 2714 |
| 74. | वन मंडल अधिकारी, डिंडारी उत्पादन | 30890 |
| 75. | वन मंडल अधिकारी, मण्डला उत्पादन | 431171 |
| 76. | वन मंडल अधिकारी, रिजर्व मण्डला | 1207338 |
| 77. | वन संरक्षक सिवनी | 36856 |
| 78. | वन संरक्षक अनु./विस्तार केन्द्र सिवनी | 18999 |

| | | |
|------|---|---------|
| 79. | वन मंडल अधिकारी, उत्तर सिवनी सामान्य | 11825 |
| 80. | वन मंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य सिवनी | 29429 |
| 81. | वन मंडल अधिकारी, नरसिंहपुर सामान्य | 7197045 |
| 82. | वन मंडल अधिकारी, उत्तर उत्पादन सिवनी | 133829 |
| 83. | वन मंडल अधिकारी, दक्षिण उत्पादन सिवनी | 31796 |
| 84. | संचालक, पंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी | 13256 |
| 85. | वन संरक्षक सामान्य छतरपुर | 13311 |
| 86. | वन संरक्षक कार्य आयोजना छतरपुर | 72856 |
| 87. | वन मंडल अधिकारी, टीकमगढ़ सामान्य | 41547 |
| | | |
| 88. | संचालक, राष्ट्रीय उद्यान पन्ना | 758565 |
| 89. | उप वन संरक्षक (रोकड़) भोपाल | 2765180 |
| 90. | मुख्य वन संरक्षक (विकास) भोपाल | 178943 |
| 91. | संयुक्त संचालक (सामुदायिक वन प्रबन्धन परियोजना) भोपाल | 34752 |
| 92. | मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना भोपाल | 65947 |
| 93. | वन मंडल अधिकारी, भोपाल सामान्य | 584721 |
| 94. | वन मंडल अधिकारी, सीहोर | 46102 |
| 95. | वन मंडल अधिकारी, राजगढ़ | 33034 |
| 96. | वन मंडल अधिकारी, रायसेन सामान्य | 94791 |
| 97. | वन संरक्षक बालाघाट सामान्य | 10623 |
| 98. | प्रचार्य रेंजर कॉलेज बालाघाट | 160376 |
| 99. | वन मंडल अधिकारी, उत्तर सामान्य बालाघाट | 46510 |
| 100. | वन मंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य बालाघाट | 35393 |
| 101. | वन संरक्षक छिन्दवाड़ा | 31585 |
| 102. | वन संरक्षक कार्य आयोजना छिन्दवाड़ा | 11412 |
| 103. | वन मंडल अधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा सामान्य | 184670 |
| 104. | वन संरक्षक सागर सामान्य | 204693 |
| 105. | वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर | 63994 |
| 106. | मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त | 76776 |
| 107. | सहायक संचालक उद्यान मण्डला | 174557 |
| 108. | वन संरक्षक पदेन वन मंडल अधिकारी, दमोह | 227833 |
| 109. | वन मंडल अधिकारी, रतलाम | 16777 |
| 110. | वन मंडल अधिकारी, सामान्य नीमच | 27220 |
| 111. | मुख्य वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त | 85117 |
| 112. | वन संरक्षक कार्य आयोजना होशंगाबाद | 42106 |
| 113. | वन मंडल अधिकारी, दक्षिण बेतूल सामान्य | 2642875 |
| 114. | वन मंडल अधिकारी, पश्चिम सामान्य छिन्दवाड़ा | 184062 |
| 115. | वन मंडल अधिकारी, राजगढ़ सामान्य | 36179 |
| 116. | वन संरक्षक कार्य आयोजना खण्डवा | 5177 |
| 117. | मुख्य वन संरक्षक अनु./विस्तार, वृत्त झाबुआ | 18976 |
| | योग | 8848946 |

ग) मध्य प्रदेश नेपाल कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक (सु-सर्वेक्षण) मध्य प्रदेश नेपाल कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक (सु-सर्वेक्षण) मध्य प्रदेश नेपाल
 गौण कार्यालय/संख्या-18/33/03/5289 गौण कार्यालय/संख्या-18/33/03/5289
 प्रति, प्रति,
 समस्त वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) समस्त वनसंरक्षक (क्षेत्रीय)
 मध्य प्रदेश । मध्य प्रदेश ।

बि. (प्र) गैरस्थायी-लोक लेखा प्रतियां मद आरक्षित निधियां (प्र) गैरस्थायी-लोक लेखा प्रतियां मद आरक्षित निधियां
 8235-सामान्य और अन्य रिजर्व निधि, 200-अन्य निधियां क्षतिपूर्ति वनरोपण और अन्य रिजर्व निधि, 200-अन्य निधियां क्षतिपूर्ति वनरोपण और अन्य रिजर्व निधि, 200-
 लिये विशेष निधि में जमा राशि के संबंध में । लिये विशेष निधि में जमा राशि के संबंध में ।


क) वनरोपण के लिये न्यूनभूमि (के) गैरस्थायी उपयोग हेतु एकलपत्रक वनरोपण के लिये न्यूनभूमि (के) गैरस्थायी उपयोग हेतु एकलपत्रक
 मद आरक्षित निधियों दिनांक 06.09.98 से लोक लेखा प्रतियां मद आरक्षित निधियों दिनांक 06.09.98 से लोक लेखा प्रतियां
 10-अन्य निधियां क्षतिपूर्ति वनरोपण और अन्य रिजर्व निधि, 200-अन्य निधियां क्षतिपूर्ति वनरोपण और अन्य रिजर्व निधि, 200-
 लिये विशेष निधि में जमा किया जायेगा । लिये विशेष निधि में जमा किया जायेगा ।

वन विभाग के इस आदेश संबंध कर्मोंक मध्य प्रदेश वन विभाग के इस आदेश संबंध कर्मोंक मध्य प्रदेश
 री आदेश संख्या/33/1048/08-दिनांक 30.6.1998 द्वारा जारी आदेश संख्या/प्रदेश/आदेश/08-दिनांक 30.6.1998 द्वारा ज
 रांक 29.12.1999 द्वारा जारी आदेश संख्या/3/33/98/10-2 दिनांक 29.12.1999 द्वारा जारी आदेश संख्या/3/33/98/10-2 दि
 ता शीर्ष के रजिस्टर तैयारी के निमित्त वन विभाग के कार्यालय में खाता खोल कर रजिस्टर तैयारी के निमित्त वन विभाग के कार्यालय में ख
 प्रसारित किया गया । प्रसारित किया गया ।

8235-सामान्य और अन्य निधियों क्षतिपूर्ति वनरोपण के लिये विशेष निधि में 8235-सामान्य और अन्य निधियों क्षतिपूर्ति वनरोपण के लिये विशेष निधि में
 ता की गई किन्हीं किन्हीं परिबोधनों के निमित्त वन विभाग के कार्यालय में खाता खोल कर रजिस्टर तैयारी के निमित्त वन विभाग के कार्यालय में ख
 कार्यालय को वेदिका की हैक दिनांक तैयारी जानकारी शीर्ष इस कार्यालय को वेदिका की हैक दिनांक तैयारी जानकारी शीर्ष इस क
 गत मध्य प्रदेश सरकार राशि क्षतिपूर्ति मुक्त करने हेतु आवश्यक अनुमान मध्य प्रदेश सरकार राशि क्षतिपूर्ति मुक्त करने हेतु आवश्यक अनु
 प्रस्तुत की जा सके । प्रस्तुत की जा सके ।

सहायक निधि
 मुख्य वनसंरक्षक (सु-सर्वेक्षण)
 मध्य प्रदेश नेपाल
 सहायक लेखा अधिकारी
 कार्यालय महादेश (सु-सर्वेक्षण)
 मध्य प्रदेश, ग्वालियर

सहायक निधि
 मुख्य वनसंरक्षक (सु-सर्वेक्षण)
 मध्य प्रदेश नेपाल
 सहायक लेखा अधिकारी
 कार्यालय महादेश (सु-सर्वेक्षण)
 मध्य प्रदेश, ग्वालियर



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर
परिशिष्ट “ड”
(कृपया कडिका 1.12 देखें)

वर्ष 2009–10 में मुख्य शीर्ष 0406–01–800–“0237– क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण” के अन्तर्गत वन मण्डलवार प्राप्त राशियों का विवरण।

| स.क्र. | वन मण्डल का नाम | राशि रुपये |
|--------|---------------------------------------|------------|
| 1 | वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) छिन्दवाड़ा | 28242 |
| 2 | वन मण्डलाधिकारी दमोह | 54054 |
| 3 | उप संचालक, सतपुड़ा टाईगर, पचमड़ी | 494 |
| 4 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) डिन्डोरी | 300 |
| 5 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) खरगौन | 1363 |
| 6 | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) बड़वानी | 57709 |
| 7. | वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सेंधवा | 41290 |
| 8. | वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) खण्डवा | 1027730 |
| 9. | वन मण्डलाधिकारी पूर्व सामान्य मण्डला | 3580 |
| 10. | वन मण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी उज्जैन | 43 |
| 11. | वन मण्डलाधिकारी सामान्य सतना | 11000 |
| 12. | वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय उत्तर सिवनी | 3164 |
| 13. | वन मण्डलाधिकारी उत्पादन दक्षिण सिवनी | 48107 |
| 14. | वन मण्डलाधिकारी सामान्य उमरिया | 812527 |
| 15. | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम सीधी | 4959832 |
| 16. | वन मण्डलाधिकारी सामान्य इन्दौर | 56502 |
| | योग | 7106037 |

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
परिशिष्ट "च"
(कृपया कंडिका 2.1.1 देखें)

वन मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर प्राप्त न होने संबंधी विवरण वर्ष 2008-09

| क्र. | इकाई का नाम | ले.प.अवधि | नि.प्र.जारी होने का दिनांक | प्रथम उत्तर प्राप्ति का दिनांक |
|------|---|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | व.मं.अ.(सा.) औबेदुल्लागंज | 05/08 से 06/09 | <u>19.06.09</u> | अप्राप्त |
| 2. | वन मण्डल अधिकारी सामान्य दक्षिण पन्ना | 07/08 से 6/09 | <u>31.07.09</u> | अप्राप्त |
| 3. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) राजगढ़ | 6/07 से 06/09 | <u>21.08.09</u> | अप्राप्त |
| 4. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) उत्तर, सागर | 04/08 से 07/09 | <u>10.09.09</u> | अप्राप्त |
| 5. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) गुना | 09/08 से 8/09 | <u>30.10.09</u> | अप्राप्त |
| 6. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) मुरैना | 04/08 से 1/09 | <u>12.01.10</u> | अप्राप्त |
| 7. | व.मं.अ.(सा.) ग्वालियर | 10/08 से 11/09 | <u>27.01.10</u> | अप्राप्त |
| 8. | वन मंडल अधिकारी (सा.) छतरपुर | 12/07 से 1/09 | <u>06.04.09</u> | अप्राप्त |
| 9. | वन मण्डल अधिकारी (उत्पादन) पश्चिम बालाघाट | 2/08 से 02/09 | <u>11.06.09</u> | अप्राप्त |
| 10. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) पश्चिम छिन्दवाड़ा | 10/07 से 2/09 | <u>11.06.09</u> | अप्राप्त |
| 11. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) दक्षिण बालाघाट | 9/07 से 2/09 | <u>16.06.09</u> | अप्राप्त |
| 12. | वनमण्डल अधिकारी (उत्पादन) दक्षिण बालाघाट | 03/08 से 3/09 | <u>26.06.09</u> | अप्राप्त |
| 13. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) जबलपुर | 04/08 से 4/09 | <u>14.08.09</u> | अप्राप्त |
| 14. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) कटनी | 12/07 से 5/09 | <u>14.08.09</u> | अप्राप्त |
| 15. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) पश्चिम बेतूल | 05/08 से 06/09 | <u>19.08.09</u> | अप्राप्त |
| 16. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) उत्तर सिवनी | 12/07 से 5/09 | <u>28.08.09</u> | अप्राप्त |
| 17. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) दक्षिण छिन्दवाड़ा | 7/08 से 7/09 | <u>01.10.09</u> | अप्राप्त |
| 18. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) | 2/08 से 10/09 | <u>15.01.09</u> | अप्राप्त |

| | | | | |
|-----|--|---------------|-----------------|----------|
| | डिन्डोरी | | | |
| 19. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) डिन्डोरी | 7/08 से /08 | <u>03.04.09</u> | अप्राप्त |
| 20. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) झाबुआ | 1/06 से 4/09 | <u>19.06.09</u> | अप्राप्त |
| 21. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) सतना | 12/07 से 5/09 | <u>13.08.09</u> | अप्राप्त |
| 22. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) रीवा | 9/08 से 7/09 | <u>28.10.09</u> | अप्राप्त |
| 23. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) पश्चिम सीधी सिंगरौली | 2/08 से 12/09 | <u>05.03.09</u> | अप्राप्त |
| 24. | वन मण्डल अधिकारी (सा.) खण्डवा | 3/08 से 1/09 | <u>14.05.09</u> | अप्राप्त |

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
परिशिष्ट "छ"
(कृपया कंडिका 2.2.1 देखें)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं का वर्षवार विवरण

| अवधि | निरीक्षण प्रतिवेदन | कंडिकाएं | राशि (लाखों में) |
|------------|--------------------|------------|------------------|
| 1976-77 | 1 | 1 | 16.46 |
| 1979-86 | 9 | 14 | 32.27 |
| 1986-87 | 2 | 4 | 5.14 |
| 1987-89 | 12 | 17 | 248.92 |
| 1989-90 | 2 | 3 | 42.44 |
| 1990-92 | 14 | 17 | 88.99 |
| 1992-93 | 7 | 10 | 25.93 |
| 1993-94 | 6 | 9 | 92.15 |
| 1994-95 | 13 | 21 | 256.39 |
| 1995-96 | 14 | 36 | 484.20 |
| 1996-97 | 14 | 14 | 33.71 |
| 1997-98 | 13 | 30 | 471.97 |
| 1998-99 | 6 | 15 | 209.60 |
| 1999-2001 | 18 | 32 | 2764.90 |
| 2001-02 | 22 | 38 | 3423.47 |
| 2002-03 | 27 | 35 | 2758.25 |
| 2003-04 | 19 | 39 | 1427.82 |
| 2004-05 | 7 | 11 | 3131.19 |
| 2005-06 | 20 | 36 | 19313.10 |
| 2006-07 | 34 | 62 | 2970.66 |
| 2007-08 | 39 | 59 | 13433.67 |
| 2008-09 | 37 | 97 | 20115.09 |
| 2009-10 | 34 | 88 | 22089.52 |
| योग | 370 | 688 | 93435.84 |

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
परिशिष्ट 'ज'
(कृपया कंडिका 2.13 देखें)

वर्ष 2009-10 के अंत तक लंबित हानि प्रकरणों का विवरण पत्रक

| वर्ष | राशि | संख्या | समायोजित राशि | संख्या | शेष राशि | संख्या |
|-----------|----------|--------|---------------|--------|-----------|--------|
| 1975-76 | 1768466 | 109 | - | - | 1768466 | 109 |
| 1977-78 | 169080 | 17 | 7122 | 2 | 161958 | 15 |
| 1978-79 | 486445 | 34 | - | - | 486445 | 34 |
| 1979-80 | 451210 | 30 | - | - | 451210 | 30 |
| 1980-81 | 498659 | 43 | 3197 | 1 | 495462 | 42 |
| 1981-82 | 344963 | 49 | - | - | 344963 | 49 |
| 1982-83 | 371076 | 29 | - | - | 371076 | 29 |
| 1983-84 | 837159 | 10 | - | - | 837159 | 10 |
| 1984-85 | 144140 | 5 | - | - | 144140 | 5 |
| 1985-86 | 43408 | 1 | - | - | 43408 | 1 |
| 1987-88 | 3830545 | 109 | 14974 | 2 | 3815571 | 107 |
| 1988-89 | 4496725 | 199 | 13090 | 1 | 4483635 | 198 |
| 1989-90 | 1828539 | 244 | - | - | 1828539 | 244 |
| 1990-91 | 2208536 | 106 | - | - | 2208536 | 106 |
| 1991-92 | 2052119 | 84 | 11023 | 2 | 2041096 | 82 |
| 1992-93 | 5279185 | 98 | 7068 | 2 | 5272117 | 96 |
| 1993-94 | 4195632 | 85 | - | - | 4195632 | 85 |
| 1994-95 | 2032239 | 56 | 4478 | 2 | 2027761 | 54 |
| 1995-96 | 3074794 | 70 | 15000 | 1 | 3059794 | 69 |
| 1996-97 | 3230049 | 86 | - | - | 3230049 | 86 |
| 1997-98 | 4467556 | 129 | - | - | 4467556 | 129 |
| 1998-99 | 27767557 | 119 | 13800 | 1 | 27753757 | 118 |
| 1999-2000 | 7314216 | 94 | - | - | 7314216 | 94 |
| 2000-01 | 4158113 | 85 | 20704 | 1 | 4137409 | 84 |
| 2001-02 | 2074657 | 44 | 96221 | 1 | 1978436 | 43 |
| 2002-03 | 6995231 | 44 | - | - | 6995231 | 44 |
| 2003-04 | 4614167 | 16 | - | - | 4614167 | 16 |
| 2004-05 | 2288585 | 18 | 9867 | 2 | 2278718 | 16 |
| 2005-06 | 7182709 | 51 | - | - | 7182709 | 51 |
| 2006-07 | 8706993 | 49 | 34462 | 1 | 8672531 | 48 |
| 2007-08 | 2578241 | 26 | 95711 | 4 | 2482530 | 22 |
| 2008-09 | 654666 | 31 | 22124 | 10 | 632542 | 21 |
| 2009-10 | 28653458 | 52 | 263762 | 17 | 28389696 | 35 |
| | | 2222 | | 50 | 144166515 | 2172 |